कार्यलय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
क्रमांक: -शिविरा-माध्यम/पेशन-अ/34925/पी-2/2012
दिनांक: - 28.05.2020
अध्यक्ष
समन्वय- पट

विषय: - बकाया पेशन प्रकरणों का सीधी निर्दारण कर रिपोर्ट भेजनें बाबतः ।
प्रस्तुत: - क्रमांक: -शिविरा-माध्यम/सर्वरी-अ/34926/13 दिनांक 09.12.2019 एवं 06.05.2020
dे सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विवादान्तित लेख है कि संदर्भित पत्र दिनांक 06.05.2020 तक के बकाया पेशन प्रकरणों की रिपोर्ट
जित्या एवं संगठन स्तर पर संचालित कर मानक सूचना निर्धारित प्रति 01 से 08 तक दिनांक 15.05.2020 तक ई-मेल
आई.डी. caosecedu@gmail.com पर आवश्यक रूप से भेजी गई थी जो कि आज दिनांक अपेक्षित है। अतः संदर्भित
निदेशक राजस्थान, मी.जी.डी. ज़ोडियापुर महाविद्यालय 2020, समाप्त अयोध्या एवं सरससुर शहर महाविद्यालय 2020
एवं संचालन उदयपुर बॉयांटी के पेशन सूचना नाम 04/2020 से बकाया भाग रहे है। उक्त सूचना सीधे संचालित कर
भिजवारा जरूरी की कार्यशाही कर दिनांक 05.06.2020 तक आवश्यक रूप से उपरोक्त ई-मेल आई.डी. पर भिजवारा
जाना सुनिश्चित करें।

अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बकाया पेशन प्रकरण जो पेशन विभाग की नीति भेजे गए है तथा पेशन विभाग से
आरोपित होकर वापिस प्राप्त हुए है। बकाया पेशन प्रकरणों के निर्देशांक के सार्वजनिक निर्धारित प्रति 01 से 08 तक दिनांक
 minut India PDA की शक्तिशाली निर्धारित कराने का श्रेय करें। बकाया पेशन प्रकरणों की निर्देशित मोनोग्राफिक संरचना
संदर्भित, मृदुल किताब शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी एवं मृदुल ब्लैक शिक्षा
अधिकारी स्तर पर की जावें। कोई भी पेशन प्रकरण ने सब सार्वजनिक तथा बकाया न हो इस बात की सुनिश्चितता की जावे।

उक्त निर्देशों के साथ जन्म निर्देशक महोदय द्वारा बकाया पेशन प्रकरणों के निर्देशांक में कार्यकों के
पेशन प्रकरण में विवरण को गंभीर लालचवादी की कृष्णा में लिया जाकर दोषी कार्यकों के विद्यु अनुशासनपालक
कार्यवाही अलग में आए जाने के निर्देश दिये है। अतः प्रकरण में लागू कार्यवाही सुनिश्चित करें इस कार्यवाही को अवगत करावे।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनारूप प्रस्तुत है:-

1. समस्त प्राधान्यक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्राधान्यकार माध्यमिक विद्यालयों को बकाया
पेशन प्रकरण के निर्दारण दिनांक 05.06.2020 तक कराया जाकर अपने नियंत्रण अधिकारी को रिपोर्ट
करें।

2. कम्प्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वैक्साइट पर अपेक्षित करें।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर